एमटीएनएल

उपभोक्ता का आवेदन पत्र

आईपीटीवी/वीओडी/एमओडी/केओडी

कृपया इस प्रपत्र को केवल काली स्याही से स्पष्ट अक्षरों में भरें ।

(क) एमटीएनएल उपभोक्ता पहचान (बिल में छपी उपभोक्ता लेखा संख्या) : ....

एमटीएनएल लैंडलाइन नंबर, जिसपर ब्राडबैंड कार्य कर रहा है तथा आईपीटीवी लगवाना है : ....

अन्य लैंड लाइन नंबर ....

(ख) उपभोक्ता का विवरण :

उपभोक्ता का नाम : ....

लिंग : पुरुष............ स्त्री ....

(ग) संस्थापन का पता : ....

....पिन....................

(घ) आपका संपर्क नंबर/ईमेल :

आवास .... कार्यालय.......................... मोबाइल ....

ईमेल : ....

(ड) अपने पैकेज का चयन करें : (**अनुबंध -1** में बताए गए अनुसार पैकेज का चयन करने के बाद ही आपकी सेवा को सक्रिय किया जाएगा)

<u>कृपया ध्यान दें</u> : एक मूल पैकेज लेना अनिवार्य है । पैकेजों की कीमतों में परिवर्तन हो सकता है ।

पैकेज का नाम ....

कृपया इन सदस्यता (ग्राहकता) नियमों एवं शर्तो पर हस्ताक्षर करें :

ये ग्राहकता नियम एवं शर्ते (जिसमें यह ग्राहकता फार्म, नियम एवं शर्ते तथा कार्य आदेश शामिल हैं), एमटीएनएल तथा आप उपभोक्ता, जिनका नाम इस पृष्ठ में ऊपर दर्शाया गया है तथा जो नीचे इस पर हस्ताक्षर करके ग्राहकता के नियमों तथा शर्तो से बंध जाएंगे ,के बीच तैयार किए गए हैं । हम इन ग्राहकता नियमों तथा शर्तो के अधीन आपको सेवा प्रदान करेंगे ।

(च) मैं पुष्टि करता हूं /करती हूं कि मैं ने बनाई गई सभी शर्ते पढ़ तथा समझ ली हैं तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं ।

हस्ताक्षर .... तिथि ....

(इन ग्राहकता नियमों एवं शर्तो पर केवल उपभोक्ता अथवा आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ही हस्ताक्षर करें)

सेट-टाप-बाक्स का एम ए सी (Mac) पता................................क्र0सं0.................................

(एमटीएनएल/अक्ष द्वारा भरा जाए)

....

पावती पर्ची

प्लान ....में एमटीएनएलआईपीटीवी के लिए दूरभाष नं0................................... पर.बुकिंग प्राप्त हुई ।
तिथि........................ (एमटीएनएल कार्मिक के हस्ताक्षर) ....

(क) <u>नियम एवं शर्ते;-</u>

1. साध्यता होने पर ही बुकिंग की पुष्टि की जाएगी।
2. आवेदक को पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा,जो टेलीफोन बिल में प्रभारित किया जाएगा।

3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को बिना कारण बताए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा। यदि आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो जमा किया गया शुल्क आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा।
4. सेट टॉप बाक्स तथा उपसाधनों (एसेसरीज़) का उपयोग केवल एकमात्र एमटीएनएल के ट्राइबैंड पर आईपीटीवी सेवाएं प्राप्त करने हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य नेटवर्क की सेवाएं लेने हेतु नहीं किया जाएगा।
5. सेट टॉप बॉक्स तथा उपसाधनों का उपयोग केवल प्राधिकृत चैनल ,कार्यक्रम देखने तथा सेवाएं प्राप्त करने हेतु किया जाएगा।
6. उपभोक्ता अनुबंध की अवधि के दौरान सेट टॉप बॉक्स का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सेट टॉप बॉक्स के संबंध में जानबूझकर की गई किसी चूक अथवा क्षति के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होंगे।
7. उपभोक्ता एमटीएनएल द्वारा पहले से प्राधिकृत किए बिना सेट टॉप बॉक्स को इसके संस्थापन के मूल स्थान से नहीं हटाएंगे,स्थानांतरित नहीं करेंगे अथवा अन्यथा कहीं इधर-उधर नहीं रखेंगे। ऐसा करने पर जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी तथा एमटीएनएल बॉक्स की लागत वसूल करने तथा /अथवा कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने का हकदार होगा।
8. यदि सेट टॉप बॉक्स खो जाए या चोरी,सेंधमारी अथवा किसी अन्य दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए तो उपभोक्ता तुरन्त पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे तथा एमटीएनएल को तुरन्त ऐसी क्षति की सूचना देंगे।ऐसा न करने पर एमटीएनएल को उपभोक्ता से सेट टॉप बॉक्स की लागत वसूल करने का अधिकार होगा।
9. किराए का भुगतान न करने/भुगतान में विलम्ब के मामले में एमटीएनएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सेवा को रद्द/निलम्बित कर दे या सेवा को बंद कर दे।ऐसे मामलों में उपभोक्ता को सेट टॉप बॉक्स को अच्छी एवं कार्य करने की हालत में वापस करना होगा।ऐसा न करने पर जमा राशि को सेट टॉप बॉक्स की लागत में समायोजित किया जाएगा।
10. पे चैनल शुल्क,समय-समय पर जैसा निर्धारित किया जाए,वैसा चुने गए प्रत्येक चैनल के लिए भुगतान किया जाएगा।
11. उपभोक्ता को भविष्य में पत्र-व्यवहार/संदर्भ हेतु पते/संपर्क दूरभाष नम्बर में परिवर्तन की सूचना एमटीएनएल अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अग्रिम रूप में देनी होगी।
12. यदि उपभोक्ता सेवा को बंद करवाना चाहते हैं तो वे सेट टॉप बॉक्स को अच्छा काम करने की हालत में वापस लौटाएंगे।
13. पहले किसी कारण काट दी गई सेवा को पुनःजोड़ने/चालू करवाने के लिए उपभोक्ता को समय-समय पर निर्धारित पुनः संयोजन प्रभारों का भुगतान करना होगा।
14. पे चैनलों के संदर्भ में उपभोक्ताओं को आईपीटीवी सेवाएं बड़ी बाधक दशाओं (**force-majure**) के अधीन प्रदान की जाएंगी, जिसमें शामिल स्थितियाँ हैं परन्तु जो इन्हीं स्थितियों तक सीमित नहीं हैं;दैवी घटनाएं, अग्निकांड,हड़तालें,समुद्री नौका अवरोध,युद्ध,विद्रोह,दंगे तथा एमटीएनएल के तर्कसंगत नियंत्रण से बाहर के अन्य कारण,जिसमें पर्यावरणीय/स्थलाकृतिक बाधाएं भी शामिल हैं।
15. उपभोक्ता एमटीएनएल की लिखित पूर्व अनुमति के बिना सेट टॉप बॉक्स पर कोई गैजेट लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपभोक्ता को सेट टॉप बॉक्स की रक्षा करनी होगी।
16. उपभोक्ता एमटीएनएल की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपने दायित्वों एवं देयताओं को किसी अन्य पक्ष को हस्तातंरित करने अथवा सौंपने का हकदार नहीं होगा। यहां इसमें निहित अभिव्यक्त शर्तों का उल्लंघन करके किए गए किसी हस्तांतरण से उपभोक्ता एमटीएनएल के प्रति अपने दायित्व/देयताओं से मुक्त नहीं होंगे।
17. वर्तमान में एवं भविष्य में लगने वाले सभी कर, उगाही(लेवी)इत्यादि,जो भी लागू होता हो,उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।
18. पे चैनलों के प्रशुल्क /प्रभार इस प्रपत्र को प्रस्तुत किए जाने के समय पे चैनलों के साथ हुए समझौते पर आधारित हैं। इन प्रबंधों मे कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उपभोक्ता को अतिरिक्त लागू प्रभारों का भुगतान करना होगा। नियमों, विनियमों अथवा आदेशों, निदेशों, अधिसूचनाओं
19. उपभोक्ता को एमटीएनएल को द्वारा बनाए गए बिल का भुगतान देय तिथि को अथवा उससे पहले एमटीएनएल को करना होगा।
20. आईपीटीवी सेवा की गुणवत्ता,कार्यशीलता,उपलब्धता तथा/अथवा विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है तथा/अथवा एमटीएनएल को हक है कि वह किसी देयता के बिना तथा कोई सूचना दिए एवं कारण बताए बिना किसी भी समय केवल अपने विवेक से एक/सभी उपभोक्ताओं के मामले में सेवाओं को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से देने से इन्कार कर दे,सीमित कर दे, निलंबित कर दे ,परिवर्तित कर दे, काट दे तथा/अथवा बाधित कर दे।
21. यदि उपभोक्ता द्वारा सेवाओं का दुरुपयोग होता है अथवा किन्हीं नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन होता है अथवा उपभोक्ता द्वारा सेवाओं का इस तरह से उपयोग किया जाता है जिससे किन्हीं कानूनों का उल्लंघन होता है अथवा एमटीएनएल की सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अथवा उसमें हस्तक्षेप होता है तो कम्पनी उपभोक्ता को उस उल्लंघन का समाधान करने के लिए पांच(5) दिन का नोटिस देगी। यदि उपभोक्ता नोटिस की अवधि के अंदर कथित उल्लंघन का समाधान करने में असफल रहता है तो एमटीएनएल को तत्काल सेवाएं बन्द कर देने का अधिकार है।

22. एमटीएनएल एकमात्र अपने विवेकाधिकार से उपभोक्ता को समुचित नोटिस देकर सेवाओं को निलंबित/बंद कर सकता है।
23. आईपीटीवी सेवा निम्नलिखित कारणों से आंशिक रुप से अथवा पूर्ण रुप से काट दी जा सकती है :-
क- प्राधिकारियों द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों, निदेशों, अधिसूचनाओं, इत्यादि में परिवर्तन।
ख- भौतिक बाधाएं, भौगोलिक, स्थलाकृतिक, जल विज्ञान संबंधी, मौसम विज्ञान संबंधी तथा केबल में कोई बाधा आने के अन्य कारण अथवा पे चैनलों, जिनसे नेटवर्क जुड़ा हुआ है, के अन्य नेटवर्कों में खराबी।
ग- कोई विसंगतियां/उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया गलत विवरण।
24. इस अनुबंध के पक्षों (पार्टियों) के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा किसी अधिकार, देयता, कृत्य, चूक के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद अथवा किसी भी प्रकार के मतभेद अथवा अनुबंध के यहां वर्णित नियमों एवं शर्तों से अथवा उनके संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद को एमटीएनएल के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा हल किया जाएगा। हालांकि उपभोक्ता को अगले उच्च प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है।
25. इसमें दी गई, शर्तों एवं नियमों की वैधता, व्याख्या (कंस्ट्रक्शन) तथा निष्पादन लागू कानूनों से संचालित, एवं व्याख्यायित होगी। एमटीएनएल एवं उपभोक्ता एकमात्र दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हैं।
26. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं/देती हूं कि मैं समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय कापीराइट अधिनियम 1994 का पूर्णरुप से पालन करुंगा/करुंगी। जैसा कानून मे प्रतिबंधित है, मैं विषयवस्तु को चुराने/उसकी नकल इत्यादि के कार्य में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी। ऐसे किसी उल्लंघन की स्थिति में निषेधआज्ञा(**injunction**), वास्तविक क्षतियों (जिसमें उल्लंघनकर्ता का लाभ भी शामिल है) इत्यादि के लिए दीवानी अथवा फौजदारी कार्यवाही की जा सकती है।
27. टीवी में ऑडियो-इन तथा वीडियो-इन पोर्ट उपलब्ध होने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी (ऑडियो-इन तथा वीडियो-इन पोर्ट की आवश्यकता सेट टॉप बाक्स की इंटरफेसिंग के लिए होती है)।
28. उपभोक्ता को भारतीय तार अधिनियम 1885, सूचना प्रौद्योगिकी **अधिनिय**म 2000 एवं भारतीय तार नियमावली तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों, प्रतिस्थापनों का पूर्णरुप से पालन करना होगा।

मैंने/हमने इसमें पीछे दिए गए नियमों एवं शर्तों को पढ तथा समझ लिया है तथा चुने गए प्रशुल्क प्लान को स्वीकार करता हूं/करती हूं/करते हैं और उनसे आबद्ध रहने के लिए सहमत हूं/हैं। मैं/हम एमटीएनएल के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों, जहां तक कि उनका संबंध सेवाओं से हो, का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई सूचना पूर्णरुप से सही तथा हर प्रकार से सत्य है।

स्थान----------------------- उपभोक्ता के हस्ताक्षर---------------------

शब्द संक्षेप- आईपीटीवी- इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी/वीओडी-बीडिओ ऑन डिमांड/टीएसटीवी-टाइम शिफ्ट टीवी